

**सार्वजनिक सूचना सं. 02/2019**

**Public Notice No. 02/2019**

सीमामुक्त लेखा-परीक्षा आयुक्तों के लिए, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति/नामांकन के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) तथा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) की नियुक्ति/नामांकन के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सार्वजनिक सूचना सं. 02/2018 दिनांक 22.11.2018 का दमन करते हुए निम्नलिखित अधिकारियों को त्यात कार्यालय से आदेशों तक उनके नाम के सम्पूर्ण लिखे पद के लिए पदाॅंक/नामांकित किया जाता है :-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम</th>
<th>अधिकारी का नाम (पदनाम)</th>
<th>कार्यालय का पता</th>
<th>पद</th>
<th>अधिकार-क्षेत्र</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>श्री. नागेन्द्र पादव (संयुक्त आयुक्त)</td>
<td>आयुक्त कार्यालय, सीमामुक्त लेखा-परीक्षा, नवीन सीमामुक्त संबंध, नई दिल्ली – 110037</td>
<td>प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (First Appellate Authority)</td>
<td>आयुक्त कार्यालय, सीमामुक्त लेखा-परीक्षा, नवीन सीमामुक्त भवन, नई दिल्ली – 110037 से संबंधित सूचना</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>श्री. रवि महाजन (सहायक आयुक्त)</td>
<td>आयुक्त कार्यालय, सीमामुक्त लेखा-परीक्षा, नवीन सीमामुक्त संबंध, नई दिल्ली – 110037</td>
<td>केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO)</td>
<td>आयुक्त कार्यालय, सीमामुक्त लेखा-परीक्षा, नवीन सीमामुक्त भवन, नई दिल्ली – 110037 से संबंधित सूचना</td>
</tr>
</tbody>
</table>

प्रतिलिपि :-

क.  मुख्य आयुक्त (दिल्ली क्षेत्र), नवीन सीमामुक्त भवन, नई दिल्ली – 110037
ख.  सिस्टम महानिदेशक, सिस्टम एवं डाटा प्रबंधन महानिदेशकालय, होटल सप्रेत, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली – 110021
ग.  आयुक्त (सर्वभक्त), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रवास कर एवं सीमामुक्त बोर्ड, नई दिल्ली
घ.  आयुक्त, प्रबंध एवं सार्वजनिक संबंध महानिदेशकालय, सीमामुक्त तथा वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय राजस्व भवन, आई. पी. एसटे, नई दिल्ली – 110002
ड.  संयुक्त आयुक्त, सीमामुक्त लेखा-परीक्षा, नवीन सीमामुक्त संबंध, नई दिल्ली – 110037
ढ.  संबंधित अधिकारी
ण.  सूचना पाठ
ज.  गार्ड फ्राइट